

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

प्रेषक,

अरुण कुमार प्रसाद,  
अपर सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
बिहार ।

पटना,दिनांक

विषय:- चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान परिवहन विभाग के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के अनुमति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के कारण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में परिवहन विभाग के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा मार्ग दर्शन की अपेक्षा की गयी थी ।

उपरोक्त के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र सं0-प0नि0 30-68/2016-2596, दिनांक-04.04.2016 द्वारा अनापत्ति संसूचित की गयी है (सुलभ प्रसंग हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1723

पटना,दिनांक 06/04/2016

- प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
  3. परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।
  4. आई.टी. मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सुवाल

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।



राज्य निर्वाचन आयोग -  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्र संख्या- प0नि0 30-68/2016- 2596

श्रेष्ठक,

दुर्गेश नन्दन,  
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-- 04 अप्रैल, 2016

विषय:- परिवहन विभाग के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की अनुमति के संबंध में।  
प्रसंग :- आपका पत्रांक 1633 दिनांक 31.03.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से परिवहन विभाग के अंतर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों (परमिट निर्गत करने) के संबंध बैठक आयोजित किये जाने पर आयोग की अनुमति मांगी गयी है। विचारोपरान्त पत्र में अंकित कार्यों हेतु बैठक आयोजित करने पर आयोग की अनापत्ति संसूचित की जाती है।

विश्वरामाजन,

सचिव। yhm